

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016— चैत्र 10, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 (चैत्र 10, 1938)

क्रमांक-3964/वि.स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) जो बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. 27 सन् 1972) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“अनुसूची
[धारा 1-क (क) देखें]

अध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	अध्यक्ष का वेतन	रुपये 32,000 प्रतिमास
धारा 3 (2)	अध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
धारा 3 (3)	अध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन

उपाध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	उपाध्यक्ष का वेतन	रुपये 28,000 प्रतिमास
धारा 3 (2)	उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
धारा 3 (3)	उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन”

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है. अतः छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. 27 सन् 1972) में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 30 मार्च, 2016

अजय चंद्राकर
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 1 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 4,44,000.00 (रुपये चार लाख चौवालिस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 1-क (क) के अधीन अनुसूची का सुसंगत उद्धरण -

अनुसूची

[धारा 1-क (क) देखें]

अध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	अध्यक्ष का वेतन	रुपये 28,000 प्रतिमास
धारा 3 (2)	अध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 3 (3)	अध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन

उपाध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	उपाध्यक्ष का वेतन	रुपये 25,000 प्रतिमास
धारा 3 (2)	उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 3 (3)	उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.